FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0254 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 27/09/2025 16:18 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 16/09/2025 **Date To (दिनांक तक):** 24/09/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:30 बजे **Time To (समय तक):** 13:30 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 27/09/2025 **Time (समय):** 14:30 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 27/09/2025 16:18:07 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 270 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** KARYALAY, ATIRIKT JILA, PARIYOJNA SAMANVAYAK, SAMAGRA SHIKHA BHILWARA, BHILWARA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SUWA LAL KUMAWAT

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** MANGI LAL KUMAWAT

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1982 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	20, VIVEKANAND, POLICE LINE KE PICHHE, BHILWARA, PRATAP NAGAR(BHILWARA), BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MUKAM POST, GUDA KA KHERA BARSANI, SHAMBHUGARH, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAJKUMAR		पिता:KALYAN MAL	1. AEN KARYALAY ATIRIKT JILA,PARIYOJNA SAMANVAYAK,SAMAGRA SHIKHA BHILWARA,BHILWARA,RAJAST
2	BHARAT BHUSHAN GOYAL		पिता:BRAJMOHAN GOYAL	1. JEN,CONTRACT BASE KARYALAY,ATIRIKT JILA PARIYOJNA,SAMANVAYAK SAMAGRA SHIKHA,BHILWARA,BHILWARA,

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	50000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा	50,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 50,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा विषय- ट्रैप कार्यवाही करने हेतु। महोदय जी, उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि मैं प्रार्थी सुवालाल कुमावत पुत्र श्री मांगीलाल कुमावत मु-गुडा का खेडा, पो-बरसनी, त-आसीन्द जि भीलवाडा का रहने वाला हॅू मैं 10 वर्षो से ठेकादारी का कार्य भीलवाडा मे कर रहा हॅू, मैं मेरी फर्म सी श्रैणी का ठेकादार होकर मैं मेरी फर्म का नाम महालक्ष्मी कन्स्ट्रशन कम्पनी के नाम से रजिस्टर्ड है। मेरी फर्म से मैने ADPCSMSA भीलवाडा से पी.एम. श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विधालय गुलाबपुरा व रा.उ.मा.वि. हूरडा में बिल्डिंग निर्माण कार्य का वर्क हुआ था, जिनके रंनिग Bill के रूप मे बना मेरे द्वारा दोनो बिल्डिग का Bill पास करने के लिए सहायक अभियन्ता AEN श्री राजकुमार जी मुन्दडा ADPCSMSA Bilwara Mob. [redacted] रंनिग Bill पास कराने की एवंज मे कल दिनांक 15.09.2025 दोपहर मे रंनिग Bill पास करने को कहा तो उन्होने मेरे रनिंग Bill पास करने की एवंज मे रिश्वत राशि के रूप मे 40000 रू की मांग की, राजकुमार मुन्दडा से काफी निवेदन कर रनिंग Bill पास करने की कहा परन्तु राजकुमार मुन्दडा ने रिश्वत राशि के रूप मे 40000 रू लिए बिना पास नही करूगा। मेरा राजकुमार मुन्दडा से पूर्व मे कोई लेन देन बकाया नही है न ही इससे केाई आपसी रंजिश है। राजकुमार मुन्दडा मेरे जायज कार्य के लिए 2 के हिसाब से 40000 रू रिश्वत राशि की मांग कर मुझे परेशान कर रहा है। अतः मैं उक्त Bill पास करने की बदले मे राजकुमार मुन्दडा को रिश्वत राशि लेते हुए पकडवाना चाहता हॅू। अतः श्रीमान से निवेदन है कि कानूनी कार्यवाही कराना फरमावे। एस.डी. प्रार्थी सुवालाल कुमावत मै. महालक्ष्मी कन्ट्रकशन कम्पनी Mob. [redacted]. कार्य का Work Order 2. दोनो का रनिंग Bill (गुलाबपुरा व हुरडा) 3. आधार कार्ड 4. 1 फोटो कार्यवाही पुलिस कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा-प्रथम दिनांक 16.09.2025 समय 10.30 ए.एम. पर पुलिस निरीक्षक कल्पना, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा प्रथम को जरिये दूरभाष श्री पारसमल, पुलिस उप अधीक्षक भ्रनिब्यूरो भीलवाडा प्रथम ने निर्देशित किया कि कार्यालय में परिवादी श्री सुवालाल कुमावत उपस्थित आयेगा जिससे सुनकर उचित कार्यवाही करें। समय 12.30 पी.एम. पर पुलिस निरीक्षक कल्पना के समक्ष कार्यालय में परिवादी उपस्थित आया व इस आशय की एक हस्तलिखित रिपोर्ट श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा के नाम की होकर पुलिस निरीक्षक कल्पना, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा प्रथम के समक्ष पेश कर बताया कि मैं श्री सुवालाल कुमावत पुत्र श्री मांगी लाल कुमावत उम्र 43 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट गुडा का खेडा, बरसनी, पुलिस थाना शम्भूगढ जिला भीलवाडा हाल निवास स्थान प्लॉट नम्बर 20, विवेकानन्द, पुलिस लाईन के पीछे, पुलिस थाना प्रतापनगर जिला भीलवाडा का रहने वाला हूं तथा मैं बी.ए. तक पढा लिखा हूं तथा उक्त लिखित रिपोर्ट स्वयं द्वारा लिखित है। परिवादी ने बताया कि मैं सी. श्रैणी का ठेकेदार हूं तथा मेरी फर्म का नाम महालक्ष्मी कन्स्ट्रशन कम्पनी के नाम से फर्म रजिस्टर्ड है। मेरी फर्म के माध्यम से मैनें कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा भीलवाडा द्वारा निकाली की निविदा में भाग लिया था जिस पर मेरी फर्म को पी.एम. श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विधालय गुलाबपुरा व राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय हूरडा में भवन निर्माण का कार्योदेश प्राप्त हुआ। जिस पर मेरे द्वारा उक्त कार्यादेश की पालना मे कार्य प्रारम्भ किया गया जिस पर मेरे उक्त कार्य की एवज में 01 रनिंग बिल हूरडा का तथा 02 रनिंग बिल गुलाबपुरा के पास कर दिये तथा उक्त कार्य के शेष रनिंग बिलों को पास करने के लिये मैनें कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा भीलवाडा में

पदस्थापित श्री राजकुमार मुंदडा सहायक अभियन्ता से दिनांक 15.09.2025 को सम्पर्क किया तो सहायक अभियन्ता ने मेरे से मेरे कार्य के रनिंग बिल दोनो स्थानों के कुल 19,23,926 रूपये (अक्षरें उन्नीस लाख तैईस हजार छब्बीस रूपये) को पास करने के लिये 2 प्रतिशत के हिसाब से लगभग 40,000 रूपये कमीशन के रूप रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। परिवादी ने बताया कि मैं मेरे जायज कार्य की एवंज में सहायक अभियन्ता श्री राजकुमार मुन्दडा को किसी प्रकार की रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं। मेरी सहायक अभियन्ता से किसी प्रकार की रंजिश नही है और ना ही किसी प्रकार की लेन देन बकाया है। सहायक अभियन्ता साहब मेरे से रिश्वत राशि 40,000 रूपये की रिश्वत राशि लिये बिना मेरे कार्य के बिल पास नही करेगा और मुझे ज्यादा परेषान करेगा। मैं आपकों मेरे कार्य से सम्बन्धित रनिंग बिलों तथा वर्क ऑर्डर एवं आधार कार्ड की फोटोप्रतियां परिवादी ने स्वयं प्रमाणित कर पेश की जिसें शामिल कार्यवाही की गई। मजमून तहरीरी रिपोर्ट एवं दरियाप्त से मामला रिश्वत राशि मांग का होना पाया जाता है। विभागीय प्रक्रिया अनुसार परिवादी को संदिग्ध अधिकारी के पास भिजवाकर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने बाबत् कहा तो परिवादी ने बताया कि संदिग्ध अधिकारी अभी कार्यालय में उपस्थित नही मिलेगा, दोपहर बाद अपने कार्यालय में आयेगा और तब मैं संदिग्ध अधिकारी से मिलकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करवा दूंगा। परिवादी ने साथ ही यह भी बताया कि मेरे अभी जरूरी कार्य होने से जाना है। संदिग्ध अधिकारी के उसके कार्यालय में उपस्थित होने पर गोपनीय रूप से मालूमात कर मैं आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। समय 01.20 पी.एम. पर पुलिस निरीक्षक कल्पना द्वारा परिवादी को गोपनियता की हिदायत देकर ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया। आईन्दा परिवादी के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। परिवादी ने पुलिस निरीक्षक कल्पना को बताया कि मैं दिनांक 17.09.2025 को कार्यालय में उपस्थित होकर अग्रिम कार्यवाही करवा दूंगा, जिस पर पुलिस निरीक्षक कल्पना द्वारा परिवादी को बताया कि दिनांक 17.09.2025 को राजकार्य से बाहर होने से दिनांक 18.09.2025 को प्रातः 10.00 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने के सम्बन्ध में निर्देशित किया जिस पर परिवादी ने कहा कि मैं दिनांक 18.09.2025 को ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवा दूंगा। तत्पश्चात परिवादी को उक्त कार्यवाही की गोपनियता बरतने की हिदायत दी गई। दिनांक 18.09.2025 समय 04.20 पी.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री सुवालाल कुमावत ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया जिसे कार्यालय में बैठाया गया। तत्पश्चात् पुलिस निरीक्षक कल्पना द्वारा गोपनीय कार्यवाही में मांग सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से श्री पवन कुमार कानि0 नम्बर 417 को बुलाकर परिवादी से आपस मे परिचय करवाया तथा मोबाईल नम्बर साझा किये गये। श्री पवन कुमार कानि0 को परिवादी के साथ कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा भीलवाडा पहूंच संदिग्ध अधिकारी से की जाने वाली रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने के निर्देश दिये। तत्पश्चात पुलिस निरीक्षक कल्पना द्वारा मालखाना प्रभारी श्री रामपाल ए.एस.आई से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर एवं एक नया मैमोरी कार्ड मंगवाया जिस पर श्री रामपाल ए.एस.आई ने एक नया मेमोरी कार्ड 64 जी.बी. सेनडिस्क कम्पनी का एवं कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर लाकर पुलिस निरीक्षक कल्पना को पेश किया जिस पर पुलिस निरीक्षक कल्पना द्वारा नये मेमोरी कार्ड को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगाकर परिवादी श्री सुवालाल कुमावत को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के बारे में जानकारी देकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू व बन्द करने की प्रक्रिया समझाई जाने के उपरान्त श्री पवन कुमार कानि0 को परिवादी के साथ जाकर संदिग्ध अधिकारी से की जाने वाली रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने के निर्देश दिये जाकर श्री पवन कुमार कानि0 को डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के जरिये फर्द समय 05.00 पी.एम. पर सुपुर्द किया गया। श्री पवन कुमार कानि0 को यह भी हिदायत दी गई कि डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालुकर परिवादी को देवें। समय 05.10 पी.एम. पर पुलिस निरीक्षक कल्पना द्वारा परिवादी श्री सुवालाल कुमावत तथा श्री पवन कुमार कानि0 नम्बर 417 को वास्ते रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की कार्यवाही हेतु कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा भीलवाडा की ओर परिवादी की निजी कार से रवाना किया गया। समय 07.00 पी.एम. पर श्री पवन कुमार कानि0 मय परिवादी श्री सुवालाल कुमावत के ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर श्री पवन कुमार कानि0 ने पेश किया जिसे पुलिस निरीक्षक कल्पना द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी व कानि पवन कुमार ने बताया कि हमने एसओ के कार्यालय मे जाकर काफी इंतजार किया लेकिन एसओ के कार्यालय मे उपस्थित नही आने से रिश्वत राशि मांग का सत्यापन नही हुआ। इस पर पुलिस निरीक्षक कल्पना द्वारा परिवादी को 19.09.2025 को प्रातः जल्दी ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर संदिग्ध अधिकारी से मिलकर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाने हेतु निर्देशित किया गया जिस पर परिवादी ने बताया कि मैं दिनांक 19.09.2025 को प्रातः 09.00 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर अग्रिम कार्यवाही सम्पादित करवा दूंगा। श्री पवन कुमार कानि0 को भी ब्यूरो कार्यालय में प्रातः 09.00 पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 19.09.2025 समय 09.20 ए.एम. पर परिवादी श्री सुवालाल कार्यालय मे उपस्थित आया जिसे कार्यालय में बैठाया गया। समय 09.50 ए.एम. पर पुलिस निरीक्षक कल्पना द्वारा गोपनीय कार्यवाही में मांग सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से श्री पवन कुमार कानि0 नम्बर 417 को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द करते हुए परिवादी श्री सुवालाल कुमावत के साथ संदिग्ध अधिकारी

श्री राजकुमार मुन्दडा के कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा भीलवाडा की ओर रवाना करने से पूर्व श्री पवन कुमार कानि0 को निर्देशित किया कि परिवादी को वॉईस रिकॉर्डर अच्छी तरह से चालूकर सुपुर्द कर संदिग्ध अधिकारी के कार्यालय में भेजें और परिवादी को अपनी उपस्थिति को छूपाते हुए जाते तथा आते हुए को देखें। तत्पश्चात् परिवादी एवं श्री पवन कुमार कानि0 को परिवादी की निजी कार से मांग सत्यापन हेतु रवाना किया गया। समय 11.10 ए. एम. पर श्री पवन कुमार कानि0 मय परिवादी श्री सुवालाल कुमावत के ब्यूरो कार्यालय भीलवाडा प्रथम पर उपस्थित आये तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर श्री पवन कुमार कानि0 ने पेश किया जिसे मन् पुलिस निरीक्षक कल्पना द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा। इसके पश्चात् परिवादी श्री सुवालाल कुमावत ने बताया कि हम दोनो मेरी निजी कार से ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा भीलवाडा के बाहर बनी हुई चौपाटी के पास पहूंचे जहां पर मैनें परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर अपने पास से चालूकर सुपुर्द किया जिसे परिवादी ने अपनी पहनी हुई शर्ट की उंपरी बांयी जेब में रखा। तत्पश्चात परिवादी मेरे पास से रवाना होकर संदिग्ध अधिकारी से वार्ता करने हेतु उसके कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा भीलवाडा के अन्दर चला गया था जिसको मैनें कार्यालय में जाते हुए तथा आते हुए को देखा। समय लगभग 20 मिनट बाद परिवादी मेरे पास वॉईस टेप रिकॉर्डर के साथ आया मुझे रिकॉर्डर पेश किया जिसें मेरे द्वारा बन्द कर अपने पास रखा। तत्पश्चात् परिवादी ने मुझे बताया कि मैं आपके पास रवाना होकर श्री राजकुमार मुन्दडा सहायक अभियन्ता के कक्ष में गया जहां पर श्रीराजकुमार मुन्दडा सहायक अभियन्ता के साथ ही दो अन्य व्यक्ति और भी उनके कक्ष में बैठे हुए थे जिसमें से एक व्यक्ति का नाम श्री भारत भूषण गोयल कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी) था और एक व्यक्ति का नाम मैं नही जानता हूं। इसके उपरान्त मैने श्री राजकुमार मुन्दडा सहायक अभियन्ता से मेरे गुलाबपुरा एवं हुरडा में करवाये गये निर्माण कार्यो के रनिंग बिलों को पास करने के सम्बन्ध में वार्ता की तो श्री राजकुमार मुन्दडा सहायक अभियन्ता ने मुझे बताया कि "गोयल से बात कर लेना" उक्त वार्ता के दौरान ही कनिष्ठ अभियन्ता गोयल संदिग्ध अधिकारी श्री राजकुमार मुन्दडा के कार्यालय से बाहर चला गया था। कुछ समय बाद पुनः कनिष्ठ अभियन्ता गोयल संदिग्ध अधिकारीश्री राजकुमार मुन्दडा के कार्यालय में उपस्थित आया और हम तीनों उपस्थित थे जिस पर मैने श्री भारत भूषण गोयल कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी) से श्री राजकुमार मुन्दडा के हे अनुसार उनके कार्यालय मे मेरे द्वारा करवाये गये निर्माण कार्यो के रनिंग बिलों के सम्बन्ध में बातचीत की तो श्री गोयल ने मुझे कहा कि मैं श्री राजकुमार मुन्दडा से बात कर आपको बता दूंगा। इसी के साथ ही परिवादी ने बताया कि वार्ता के दौरान मेरी नजरें दोनो संदिग्ध अधिकारी पर भी तो दोनो के द्वारा आपस में ईशारो ईशारो में कोई बात की जिसें मैनें देखा था। इसक बाद श्री भारत भूषण गोयल कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी) श्री राजकुमार के कार्यालय से बाहर चला गया था और मैं भी मुन्दडा के कार्यालय से श्री गोयल के पीछे-पीछे बाहर आकर उनसे वार्ता करने लगा जिस पर श्री गोयल ने मुझे कहा कि मैं आपको श्री राजकुमार मुन्दडा सहायक अभियन्ता से वार्ता कर बता दूंगा। इसके उपरान्त मैं कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा भीलवाडा से रवाना होकर पवन जी के पास आ गया और सम्पूर्ण घटनाक्रम बताया। इसके उपरान्त श्री पवन कुमार जी ने मुझे पुनः डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालूकर सुपुर्द कर श्री भारत भूषण गोयल कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी) से वार्ता करने हेतु कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा भीलवाडा रवाना किया। इस पर कुछ समय बाद मैं श्री गोयल (संविदाकर्मी) से वार्ता कर श्री पवन कुमार जी के पास आया और डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर पेश किया जिसे बन्द पर अपने पास रखा । इसके उपरान्त मैनें श्री पवन कुमार जी को बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर श्री भारत भूषण गोयल कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी) के कक्ष में पहूंचा जहां पर श्री गोयल अपनी सीट पर बैठे हुए थे जिस पर मैने उनसे मेरे द्वारा करवाये गये निर्माण कार्यो के रनिंग बिलों के बारे में बातचीत की तो श्री गोयल ने मुझे स्पष्ट रूप से कहा कि "आपके कुल 19 लाख रूपये के बिल हो रहे है, जिसमें से 16 लाख रूपये का ई.सी.एस. कर देगें तथा उक्त सभी बिलों के 03 प्रतिशत कमीशन राशि के हिसाब से कुल 48 हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग की। इस पर मेरे द्वारा श्री गोयल को 03 प्रतिशत कमीशन राशि के सम्बन्ध में पूछा तो श्री गोयल ने बताया कि ए.ई.एन. साहब का 02 प्रतिशत कमीशन एवं 01 प्रतिशत कमीशन मेरा है। उक्त वार्ता के दौरान श्री गोयल ने मेरे द्वारा करवाये गये पुराने निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में भी उसके कमीशन राशि के सम्बन्ध में वार्ता की तो उसमें भी श्री गोयल द्वारा 5-6 हजार रूपये कमीशन की मांग के सम्बन्ध में बताया। इस पर मेरे द्वारा परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों के सम्बन्ध श्री पवन कुमार कानि0 नम्बर 417 से पूछा तो श्री पवन कुमार कानि0 द्वारा परिवादी श्री सुवालाल कुमावत द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि की । तत्पश्चात पुलिस निरीक्षक कल्पना द्वारा कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में दर्ज रिकॉर्ड वार्ताओं को चालूकर सुना गया तो परिवादी व श्री पवन कुमार कानि0 द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई । परिवादी श्री सुवालाल कुमावत ने साथ ही यह भी बताया कि श्री राजकुमार मुन्दडा, सहायक अभियन्ता मेरे से मेरे से बिलों को पास करने की एवज में कम बात करता है तथा वह रिश्वत राशि स्वयं नही लेकर अपने अधिनस्थ पदस्थापित श्री भारत भूषण गोयल कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी) को दिलवायेगा। इस प्रकार परिवादी श्री सुवालाल कुमावत द्वारा गुलाबपुरा व हुरडा में करवाये गये निर्माण कार्यो के रनिंग बिल 19.00 लाख रूपये को पास कराने के लिये 03 प्रतिशत कमीशन राशि के रूप में 48 हजार रूपये की मांग श्री राजकुमार मुन्दडा, सहायक अभियन्ता एवं श्री भारत भूषण गोयल कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी), कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना

समन्वयक, समग्र शिक्षा भीलवाडा द्वारा की गई जिससे रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना पाया गया। परिवादी श्री सुवालाल कुमावत ने ब्यूरो द्वारा करवाई गई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में संदिग्ध अधिकारियों को उसके द्वारा करवाये गये निर्माण कार्यो की कमीशन की राशि 03-04 दिन बाद रिश्वत राशि के रूप में देने के सम्बन्ध में बताया जिस पर परिवादी को पुलिस निरीक्षक द्वारा रिश्वत राशि की व्यवस्था कर अग्रिम कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने के लिये निर्देशित किया गया। परिवादी को एसीबी कार्यवाही की गोपनियता बनाये रखने के लिये हिदायत दी गई। पुलिस निरीक्षक कल्पना द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को मेरे पास कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखा गया। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। समय 04.00 पी.एम. पर पुलिस निरीक्षक कल्पना द्वारा परिवादी श्री सुवालाल कुमावत को आरोपीगणों को कमीशन के रूप में दी जाने वाली रिश्वत राशि 50 हजार रूपये की व्यवस्था कर 03-04 दिन में ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होवें तथा परिवादी को उक्त कार्यवाही की गोपनियता की हिदायत देकर ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया। आईन्दा परिवादी के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। दिनांक 21.09.2025 समय 08.00 पी.एम. पर पुलिस निरीक्षक कल्पना की पदौन्नति पुलिस निरीक्षक के पद पर होने के कारण श्रीमान् उप महानिरीक्षक पुलिस (प्रषिक्षण), राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प. 11 (05) प्र.षि./पी.सी.सी./2025/2975 दिनांक 19.09.2025 से दिनांक 22.09.2025 को समय 05.00 पी.एम. तक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जोधपुर में आमद कराने के आदेश जरिये ईमेल प्राप्त होने से उक्त आदेश की पालना में पुलिस निरीक्षक पी.सी.सी हेतु जोधपुर जाने से उक्त ट्रेप कार्यवाही से सम्बन्धित परिवादी की लिखित रिपोर्ट मय रनिंग नोट मय संलग्न दस्तावेजात् तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मूल मैमोरी कार्ड जिसमें परिवादी श्री सुवालाल कुमावत व संदिग्ध श्री राजकुमार मुन्दडा सहायक अभियन्ता एवं श्री भारत भूषण गोयल कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी), कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा भीलवाडा के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 19.09.2025 की वार्ता रिकॉर्ड है को श्रीमान् पुलिस उप अधीक्षक, पारसमल, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा प्रथम के आदेशानुसार श्री खालिद हुसैन हैड कानि0 नम्बर 88, भ्रनिब्यूरो भीलवाडा-प्रथम को संभलाया गया तथा आदेशित किया कि श्रीमान् पुलिस उप अधीक्षक महोदय के अवकाश से ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने पर उक्त सम्पूर्ण रिकॉर्ड एवं डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर हालात निवेदन करें। दिनांक 23.09.2025 समय 01.00 पीएम पर श्री खालिद हुसैन हैडकानि0 88 ने मुझ उप अधीक्षक को परिवादी श्री सुवालाल कुमावत द्वारा ट्रेप कार्यवाही हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं श्रीमति कल्पना बंशीवाल, पुलिस निरीक्षक द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, रनिग नोट, फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर, एवं कार्यालय का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय 64 जीबी मैमोरी कार्ड मुझ उप अधीक्षक पारसमल के सुपुर्द किया तथा बताया कि परिवादी श्री सुवालाल कुमावत द्वारा एसीबी कार्यालय में दिनांक 16.09.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए सीआई मैडम ने परिवादी को संदिग्ध अधिकारी श्री राजकुमार मून्दडा सहायक अभियंता कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा भीलवाडा एवं कनिष्ठ अभियंता श्री भारत भूषण गोयल के पास भिजवाकर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया है, जो कार्यालय के डीवीआर में लगे मैमोरी कार्ड में वार्ता रिकॉर्ड है। हैडकानि0 श्री खालिद हुसैन द्वारा प्रस्तुत पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। हालात वरिष्ठ अधिकारियों को निवेदन किये गये। पुलिस निरीक्षक द्वारा रिकॉर्ड वार्ताओ की ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार नही की गई है। मन उप अधीक्षक द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जायेगी। पत्रावली एवं कार्यालय का डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मन उप अधीक्षक की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। समय 2.05 पी.एम. पर मन् पारसमल उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री सुवालाल कुमावत पुत्र श्री मांगीलाल जाति कुमावत उम्र 43 वर्ष निवासी मकान नं0 20 स्वामी विवेकानंद, पुलिस लाईन के पीछे प्रतापनगर जिला भीलवाडा हाल सिविल कॉन्ट्रेक्टर को कार्यालय में तलबी हेतु उसके मोबाइल नं0 [redacted] पर कॉल किया गया तथा एसीबी में कार्यवाही हेतु प्रस्तुत रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने के संबंध में बताया तो कहा कि मै करीबन 02 घंटे बाद आपके पास कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। समय 4.00 पी.एम. पर परिवादी श्री सुवालाल कुमावत कार्यालय हाजा में उपस्थित आया। श्री पवन कुमार कानि0 417 को मन उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में बुलाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मन उप अधीक्षक द्वारा पुनः दरियाप्त की गई तो बताया कि मेरी फर्म महालक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के नाम से रजिस्टर्ड है, तथा सी श्रेणी का ठेकेदार हॅू, मेरी फर्म को पी.एम श्री राजकीय बालिका उच्च मा. विधालय गुलाबपुरा एवं हुरडा में भवन निर्माण का कार्यादेश प्राप्त हुआ था, मेरे द्वारा कार्यपूर्ण कर 02 रनिग बिल राशि 19,23,926 रूपये के कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा भीलवाडा में प्रस्तुत किया था, लेकिन उक्त बिलो को पास करने की एवज में मेरे से श्री राजकुमार मून्दडा सहायक अभियंता द्वारा 02 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से 40,000 रूपये रिश्वत की मांग की गई थी। मेरे द्वारा एसीबी में ट्रेप कार्यवाही हेतु श्रीमति कल्पना बंशीवाल के समक्ष दिनांक 16.09.25 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही है, जिसकी मै ताहिद करता हू। मेरे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर सीआई मैडम कल्पना जी ने आपके कार्यालय के कानिस्टेबल श्री पवन कुमार जी को मेरे साथ रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु आपके कार्यालय का डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर देकर दिनांक 18.09.25 को समय 5.10 पी.एम. पर कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा भीलवाडा भिजवाया था, लेकिन उस दिन श्री राजकुमार एईन कार्यालय में नही आने से कोई वार्ता रिकॉर्ड नही हुई। दिनांक 19.09.25 को मुझे तथा पवन कुमार

जी को सीआई मैडम कल्पना जी ने समय 9.50 एएम पर मांग सत्यापन वार्ता हेतु कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा भीलवाडा में जाकर मेरे कार्य के संबंध में एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु भिजवाया गया था। मै तथा पवन कुमार जी मेरी प्राईवेट कार से आपके कार्यालय से रवाना होकर श्री राजकुमार मून्दडा के पास उसके कार्यालय में मेरे लम्बित कार्य के संबंध में बातचीत की तो श्री राजकुमार मुन्दडा सहायक अभियंता ने मुझे गोयल से बात कर लेने के संबंध में बताया, श्री भारत भूषण गोयल कनिष्ठ अभियंता है, जो राजकुमार जी के पास की उनके कार्यालय में संविदा पर लगा हुआ है। इसके बाद में एईन साहब के कहे अनुसार श्री भारत भूषण गोयल कनिष्ठ अभियंता से मिला तो उसने मुझे कहा कि आपके 19.00 लाख के बिल हो रहे है, जिसमे से 16.00 लाख का ई.सी.एस होगा। श्री भारत भूषण गोयल ने 03 प्रतिशत रिश्वत राशि के हिसाब से मुझे 48000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की, श्री भारत भूषण गोयल ने कहा कि 02 प्रतिशत तो एईएन साहब के एवं 01 प्रतिशत मेरे है। तथा मेरे पुराने निर्माण कार्यो के बिल जो पास हो चुके है, उसकी एवज में भी श्री भारत भूषण गोयल ने रिश्वत की मांग की, श्री भारत भूषण ने कुल 50000 रूपये श्री राजकुमार मून्दडा सहायक अभियंता एवं स्वंम के लिये रिश्वत की मांग की गई। उक्त वार्तायें आपके कार्यालय के डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई है। तत्पश्चात कानि0 श्री पवन कुमार ने रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु जाने एवं कार्यवाही की ताहिद की । तत्पश्चात मन उप अधीक्षक के पास अलमारी में सुरक्षित रखे गये कार्यालय के डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को निकाल कर मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 19.09.25 को परिवादी एवं कानि0 के समक्ष सुना गया। वार्ता अनुसार दिनांक 19.09.25 श्री राजकुमार मून्दडा सहायक अभियंता द्वारा परिवादी के लम्बित बिलो के भुगतान के संबंध में श्री गोयल से बात करने की कहता है, तथा श्री राजकुमार मून्दडा सहायक अभियंता के बताये अनुसार ही परिवादी श्री भारत भूषण गोयल कनिष्ठ अभियंता से वार्ता करता है। जिसमें श्री भारत भूषण गोयल कहता है, कहा कि आपके 19.00 लाख के बिल हो रहे है, जिसमे से 16.00 लाख का ई.सी.एस होगा। श्री भारत भूषण गोयल ने 03 प्रतिशत रिश्वत राशि के हिसाब से 48000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की एवं श्री भारत भूषण गोयल ने कहा कि 02 प्रतिशत तो एईएन साहब के एवं 01 प्रतिशत मेरे है। तथा परिवादी द्वारा पुराने निर्माण कार्यो के बिल जो पास हो चुके है, उसकी एवज में भी श्री भारत भूषण गोयल ने रिश्वत की मांग की, श्री भारत भूषण ने कुल 50000 रूपये श्री राजकुमार मून्दडा सहायक अभियंता एवं स्वंय के लिये रिश्वत की मांग करना पाया गया। अतः परिवादी से रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना पाया गया। परिवादी ने बताया कि श्री राजकुमार मून्दडा सहायक अभियंता बहुत सतर्क एवं चालाक है, उसकी पूर्व में भी कई बार भ्रष्टाचार की शिकायत हो चुकी है, वह रिश्वत की राशि अपने अधिनस्थ कार्मिक श्री भारत भूषण गोयल को ही दिलायेगा। परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने एवं कल सुबह 8.00 एएम पर आरोपीगणों को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये। परिवादी को रूखसत किया गया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का डीवीआर मय मैमोरी कार्ड मेरी कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखा गया। आइन्दा परिवादी एवं गवाहान की उपस्थिति में ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की जायेगी। समय 05.00 पीएम पर श्री राजेश कुमार एसआई को गोपनीय कार्यवाही हेतु 02 स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु जरिये कार्यालय पत्रांक 1616 दिनांक 23.09.25 से कार्यालय कोषाधिकारी कोष कार्यालय जिला भीलवाडा रवाना किया गया। समय 06.15 पीएम पर श्री राजेश कुमार उप निरीक्षक कार्यालय कोषाधिकारी जिला भीलवाडा से 02 स्वतंत्र गवाहान कार्यवाही हेतु लेकर उपस्थित हुआ। गवाहान श्री दिलीप सिह चुडांवत पुत्र श्री दशरथ सिंह जाति राजपूत उम्र 28 वर्ष निवासी गॉव चैनपुरा पोस्ट सेथूरिया, पुलिस थाना कोराई, तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा हाल कनिष्ठ लेखाकार कोष कार्यालय भीलवाडा एवं श्री गौरव सोनी पुत्र श्री दिलीप सोनी उम्र 33 वर्ष निवासी मंगला चौक माणिक्य नगर, पुलिस थाना भीमगंज भीलवाडा हाल सहायक लेखाधिकारी द्वितीय कार्यालय कोषाधिकारी जिला भीलवाडा मोबाइल होना बताया। उक्त गवाहान को कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। समय -7.00 पीएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान को रूखसत कर दिनांक 24.09.2025 को प्रातः 8.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। कार्यालय स्टॉफ को प्रातः 7.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये। दिनांक 24.09.2025 समय 08.15 ए.एम. पर समस्त कार्यालय स्टाफ, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री श्री दिलीपसिंह कनिष्ठ लेखाकार, एवं श्री गौरव सोनी सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, एवं परिवादी श्री सुवालाल कार्यालय हाजा में उपस्थित आ चुके है। जिनके समक्ष अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। समय- 8.30 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री सुवालाल एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय कक्ष में तलब किया गया। उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री दिलीप सिह कनिष्ठ लेखाकार, एवं श्री गौरव सोनी सहायक लेखाधिकारी द्वितीय कार्यालय कोषाधिकारी कोष कार्यालय जिला भीलवाडा का आपस में परिचय करवाया गया। परिवादी श्री सुवालाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर की जाने वाली गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान रहने की सहमति चाही गई तो दोनों गवाहान ने अपनी-अपनी सहमति दी। तत्पश्चात परिवादी श्री सुवालाल द्वारा ट्रेप कार्यवाही हेतु दिनांक 16.09.25 को एसीबी कार्यालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनों गवाहान को पढाया गया। तथा दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये तथा अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। समय- 09.35 ए.एम. पर परिवादी श्री सुवालाल कुमावत व दोनो स्वतन्त्र गवाह कार्यालय हाजा में उपस्थित है। परिवादी एवं गवाहान की उपस्थिती में रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 19.09.2025 से संबंधित कार्यालय की डिजीटल वाइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के मन उप अधीक्षक की अलमारी से निकाला गया। तत्पश्चात उक्त

डीवीआर को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ताओ को बारी बारी से चलाकर सुना गया जिसमें परिवादी श्री सुवालाल ने अपनी आवाज एवं आरोपीगण श्री राजकुमार मून्दडा सहायक अभियंता एवं श्री भारत भूषण गोयल कनिष्ठ अभियंता की आवाज की गवाहान के समक्ष पहचान की, रिकार्डशुदा वार्ता की कार्यालय से लेपटॉप से फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट शब्द ब शब्द सुन सुनकर श्री खालिद हुसैन हैड कानि 88 से तैयार करवाई गई। उक्त रिकार्ड वार्ता की हैश वेल्यू श्री पवन कानि 417 से निकलवायी गई तथा हेसवेल्यू की प्रिन्ट निकलवाई जाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त रिकॉर्डशुदा वार्ताओं को उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय हाजा के लेपटॉप से श्री पवन राव कानि0 नम्बर 417 से कनेक्ट करा वार्ताओं के कुल 03 पेनड्राईव जिसमें से 01 पेनड्राईव 32 जी.बी. सेनडिस्क ब्लैक कलर प्लास्टिक बोडी का न्यायालय हेतु तथा आरोपीगणों हेतु 02 पेनड्राईव पृथक-पृथक 32 जी.बी. सेनडिस्क ब्लैक कलर प्लास्टिक बोडी का एवं 01 पेनड्राईव को अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार किया गया। माननीय न्यायालय के पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क PD-1 दिया गया तथा आरोपीगणों के पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क PD-2, PD-3 दिया गया तथा अनुसंधान अधिकारी हेतु पेनड्राईव को उसी कवर में रखकर एक पीले लिफाफे में रखकर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया तथा वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड को उसी कवर में रखा गया तथा मूल मेमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड् मोहर कर मार्क M दिया गया। सिल्ड् पैकेट पर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मांग सत्यापन वार्ता एवं शिल्ड आर्टिकल पैकिट पर नमूना ब्रास सील ACB BHL-1 32 नम्बर अंकित की गई। समय-10.10 ए.एम पर मन् उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री सुवालाल को दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष रिश्वत में दी जाने वाली राशि 50,000 रूपये प्रस्तुत करने के लिये कहा तो परिवादी ने कहा कि मेरे पास अभी मात्र 30,000 रूपये की ही व्यवस्था हो पाई है। मैं अभी अर्जेन्ट में और 20,000 रूपये की व्यवस्था करने में सक्षम नही हूं। परिवादी ने बताया कि श्री राजकुमार मुन्दडा, सहायक अभियन्ता, व श्री भारत भूषण गोयल, कनिष्ठ अभियन्ता 50,000 रूपये की रिश्वत राशि लिये बगैर मेरे पैण्डिंग बिलो की भुगतान पत्रावली पर पास आर्डर भी नही लगायेगा तथा श्री राजकुमार मुन्दडा अभी 1-2 दिन में कहीं बाहर जा सकता है। यह दोनो अधिकारी मेरे से आज ही रिश्वत राशि लेगें। मैं बाजार से 20,000 रूपये के डमी नोट ला सकता हूं। इस पर मन् उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री सुवालाल को बाजार से डमी नोट 20,000 रूपये लाने हेतु रवाना किया गया। समय 10.40 ए.एम पर श्री मधुसुदन सहायक उप निरीक्षक, श्री नारायण लाल कानि. बेल्ट नं0 53, श्री प्रेमराज मीणा कानि. 225 एवं श्री विनोद विश्नोई मय वाहन सरकारी बोलेरो के श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरों भीलवाडा चौकी द्वितीय के आदेशानुसार उपस्थित कार्यालय आये। समय 10.45. ए.एम पर परिवादी श्री सुवालाल 20,000 रूपये जिसमें 500-500 रूपये के कुल 40 नोट भारतीय मनोरंजन बैंक के डमी नोट लेकर उपस्थित कार्यालय आया तथा गवाहान के समक्ष बताया कि उक्त डमी नोट में बाजार से खरीद कर लाया हूं। जिसको मेरे पास भारतीय चलन मुद्रा के 30,000 रूपये के साथ मिलाकर रिश्वत के रूप में 50,000 रूपये दे देगें। समय- 10.50 ए.एम. पर प्रकरण में परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिश्वत राशि 50,000 रूपये जिसमें 30,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के एवं 20,000 रूपये के डमी नोट प्रस्तुत किये। जिस पर गवाहान के समक्ष उक्त रिश्वत राशि में भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के कुल 60 नोटों के नम्बर फर्द में अंकित किये जो निम्नानुसार है- 1. 500 रूपये का एक नोट 2 EU 983590, 2. 500 रूपये का एक नोट 7 KB 570744, 3. 500 रूपये का एक नोट 1 AE 048175, 4. 500 रूपये का एक नोट 3 RA 600929, 5. 500 रूपये का एक नोट 4 HV 364683, 6. 500 रूपये का एक नोट 4 PP 451635, 7. 500 रूपये का एक नोट 3 QT 602035, 8. 500 रूपये का एक नोट 8 GF 310253 9. 500 रूपये का एक नोट 7 RR 626089, 10. 500 रूपये का एक नोट 9 DV 612846, 11. 500 रूपये का एक नोट 9 HH 424331, 12. 500 रूपये का एक नोट 2 CA 628965, 13. 500 रूपये का एक नोट 2 EF 777414, 14. 500 रूपये का एक नोट 5 GV 761306, 15. 500 रूपये का एक नोट 3 SP 109009, 16. 500 रूपये का एक नोट 8 KR 250013, 17. 500 रूपये का एक नोट 1 NC 054810, 18. 500 रूपये का एक नोट 0 AS 781613, 19. 500 रूपये का एक नोट 5 DA 666614, 20. 500 रूपये का एक नोट 1 KH 001367, 21. 500 रूपये का एक नोट 7 PP 145664 22. 500 रूपये का एक नोट 0 HS 268440, 23. 500 रूपये का एक नोट 6 ML 696179, 24. 500 रूपये का एक नोट 2 BQ 062925, 25. 500 रूपये का एक नोट 3 NC 743663, 26. 500 रूपये का एक नोट 8 HE 551637, 27. 500 रूपये का एक नोट 4 KH 272553, 28. 500 रूपये का एक नोट 5 AM 755697 , 29. 500 रूपये का एक नोट 0 BQ 339043, 30. 500 रूपये का एक नोट 5 HU 016653, 31. 500 रूपये का एक नोट 4 FF 616206, 32. 500 रूपये का एक नोट 4 QL 840431, 33. 500 रूपये का एक नोट 7 DD 051090, 34. 500 रूपये का एक नोट 5 GG 696275, 35. 500 रूपये का एक नोट 5 TB 557126, 36. 500 रूपये का एक नोट 7 DB 495079, 37. 500 रूपये का एक नोट 6 SK 484696, 38. 500 रूपये का एक नोट 0 BH 434212, 39. 500 रूपये का एक नोट 9 VC 113741, 40. 500 रूपये का एक नोट 3 NC 757408, 41. 500 रूपये का एक नोट 9 BH 317713, 42. 500 रूपये का एक नोट 1 AH 021774, 43. 500 रूपये का एक नोट 8 HN 856924, 44. 500 रूपये का एक नोट 3 CE 842933, 45. 500 रूपये का एक नोट 5 TD 303330, 46. 500

रूपये का एक नोट 4 FE 648517, 47. 500 रूपये का एक नोट 6 MN 943210, 48. 500 रूपये का एक नोट 4 HU 715148, 49. 500 रूपये का एक नोट 8 ET 966184, 50. 500 रूपये का एक नोट 8 ET 966186, 51. 500 रूपये का एक नोट 0 TE 903745, 52. 500 रूपये का एक नोट 7 HU 651392, 53. 500 रूपये का एक नोट 6 RV 430724, 54. 500 रूपये का एक नोट 8 PB 781804, 55. 500 रूपये का एक नोट 7 LR 714545, 56. 500 रूपये का एक नोट 0 TQ 320464, 57. 500 रूपये का एक नोट 7 KD 837624, 58. 500 रूपये का एक नोट 5 AE 564805, 59. 500 रूपये का एक नोट 4 WU 061905, 60. 500 रूपये का एक नोट 3 NW 310107 चुंकि डमी करेन्सी पर कोई सिरियल नम्बर अंकित नही होता है, केवल भारतीय मनोरंजन बैंक लिखा है। तत्पश्चात् श्री इन्द्रजीत कानि0 मालखाने से फिनोफ्थ्लीन पाउडर की शिशि मंगवाई गई तथा उक्त समस्त नोटों पर गवाहान के समक्ष फिनोफ्थ्लीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी की जामा तलाशी श्री दिलीप सिंह गवाह से लिवाई गई तो कोई संदिग्ध वस्तु नही मिली जिस पर उक्त नोटों की गड्डी को कानि0 श्री इन्द्रजीत से परिवादी की पहनी हुई दाहिनी जेब में रखवाई गई। तत्पश्चात् श्री नेमीचन्द ए.एस.आई से एक साफ डिस्पोजल गिलास में पानी मंगवाया तथा सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कर श्री इन्द्रजीत कानि0 की अंगुलियों व अंगुठे को घोल में डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थ्लीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया गवाहान, परिवादी एवं एसीबी टीम को समझाई गई। परिवादी को आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात् निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर या मुझ उप अधीक्षक को कॉल कर बताने के संबंध में समस्त एसीबी टीम को बताया गया। जिसकी एक फर्द मुर्तिब कर सभी सर्म्बिन्धतों के हस्ताक्षर करवाये गये। सभी एसीबी टीम व सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबून से धुलवाये गये। समय 11.45 ए.एम. पर परिवादी एवं गवाहान के समक्ष कार्यालय हाजा के मालखाने से दो 32 जी.बी. नये मैमोरी कार्ड निकलवाये गये, जिसमे से 01 मैमोरी कार्ड 32 जी.बी. श्री पवन कुमार कानि0 को सुपुर्द कर निर्देश दिये कि आप परिवादी के साथ रिश्वत राशि लेन-देन से सम्बन्धित वार्तायें कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में मैमोरी कार्ड को लगाकर रिकॉर्ड करने के निर्देश दिये तथा एक नया मैमोरी कार्ड 32 जी.बी. श्री राजवीर कानि. को सुपुर्द कर निर्देश दिये कि आप सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही की ऑडियों-विडियो रिकॉर्डिंग कार्यालय के सरकारी मोबाईल फोन में मैमोरी कार्ड लगाकर रिकॉर्ड करें। तत्पश्चात् मन् पारसमल उप अधीक्षक मय जाप्ता श्री रामपाल ए.एस.आई, श्री राजवीर सिंह कानि0, मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय अनुसंधान व ट्रेप सामग्री तथा कार्यालय के लेपटॉप, प्रिन्टर एवं इत्यादि के सरकारी वाहन बोलेरो से एवं श्री राजेश कुमार एस.आई मय श्री मधुसुदन ए.एस.आई, श्री प्रेमराज कानि0, श्री नारायण लाल कानि0 मय सरकारी वाहन मय चालक श्री विनोद कुमार के, एक प्राईवेट मोटर साईकिल से श्री नेमीचन्द ए.एस.आई एवं श्री खालिद हुसैन हैड कानि0 व परिवादी श्री सुवालाल के साथ श्री पवन कुमार कानि0 को कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय्क, समग्र शिक्षा अभियान भीलवाडा की ओर ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुए तथा श्री नेमीचन्द ए.एस.आई एवं श्री खालिद हुसैन हैड कानि0 को निर्देशित किया कि आप परिवादी के आस-पास ही मोटर साईकिल लेकर उपस्थित रहे तथा कानि0 श्री पवन को निर्देश दिये कि आप परिवादी को रिश्वत राशि लेन-देन हेतु जाने से पूर्व डीवीआर में मैमोरी कार्ड अच्छी तरह से लगाकर सुपुर्द करें। समय-12.10 पी.एम. पर मन् पारसमल उप अधीक्षक मय एसीबी टीम मय जाप्ता के कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय्क, समग्र शिक्षा अभियान भीलवाडा से थोडा पहले अरिहन्त हॉस्पीटल रोड, चौपाटी के पास पहूंचें तो परिवादी ने बताया कि मैने श्री राजकुमार मुन्दडा एईएन. के सम्बन्ध में जानकारी की तो पता चला कि व अभी-अभी सरकारी गाडी लेकर कार्यालय से निकल गया है। इस पर मन् उप अधीक्षक द्वारा श्री भारत भूषण गोयल से ही रिश्वत राशि लेन-देन के संबंध में वार्ता करने एवं आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात् श्री भारत भूषण गोयल से या आप अपने मोबाईल फोन से वार्ता करने का प्रयास करें। श्री राजेश कुमार एस.आई मय जाप्ते के महिला गर्ल्स कॉलेज के पास उपस्थित रहने के निर्देश दिये। समय-12.17 पी.एम. पर कानि0 श्री पवन कुमार ने कार्यालय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी श्री सुवालाल की पहनी हुई शर्ट की उपर की बांयी जेब में रखवाया गया तथा परिवादी को श्री भारत भूषण गोयल से रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता करने हेतु उसके कार्यालय में रवाना किया गया तथा मन् उप अधीक्षक मय एसीबी टीम मय जाप्ते के कार्यालय के आस-पास ही अपनी उपस्थिति को छूपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारें के ईन्तजार में मुकीम हुए। समय-12.25 पी.एम. पर परिवादी श्री सुवालाल ने समय 12.25 पी.एम पर परिवादी श्री सुवालाल कुमावत ने कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा भीलवाडा के बाहर गेट पर खडे होकर मन् पारसमल पुलिस उप अधीक्षक को अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से कॉल कर बताया कि गोयल साहब ने मेरे से अभी-अभी 50 हजार रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करके अपने पास रख ली है। इस पर मन् उप अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय एसीबी टीम के कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा भीलवाडा के बाहर पहूंचा जहां परिवादी मौजुद मिला तथा एसीबी टीम के श्री पवन कुमार कानि0, खालिद हुसैन हैड कानि0, व श्री नेमीचन्द ए.एस.आई एक व्यक्ति को घेर कर खडे नजर आयें। पास ही खडे परिवादी श्री सुवालाल ने बताया कि यहीं श्री भारत भूषण जी गोयल है जिन्होनें अभी-अभी मेरे से रिश्वत राशि लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब में रखी है। मौके पर ही कानि0 श्री पवन कुमार द्वारा परिवादी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर लेकर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। इस पर मन् पारसमल उप अधीक्षक मय स्वतन्त्र

गवाहान मय एसीबी टीम के उक्त शख्स के पास पहूंचा तथा मन् पारसमल उप अधीक्षक मय एसीबी स्टाफ का परिचय देकर आने का मन्तव्य बताया तथा उक्त शख्स का नाम पता पूछा तो अपना नाम भारत भूषण गोयल पुत्र श्री बृजमोहन गोयल उम्र 56 वर्ष निवासी मकान नम्बर डी.-443, आजाद नगर, अम्बेश हॉस्पीटल के सामने, पन्नाधाय सर्कल के पास हाल कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी) कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा भीलवाडा होना बताया। जिससे परिवादी श्री सुवालाल से अभी-अभी 50 हजार रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करने के संबंध में पूछा तो बताया कि मैनें सुवालाल जी से कोई रिश्वत राशि नही ली है। मैनें तो 50 हजार रूपये उधार लिये है। जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी से उक्त रिश्वत राशि के संबंध मे पूछा तो बताया कि गोयल साहब ने मेरे से कोई उधार के पैसे नही लिये है। मेरे बिलो के भुगतान की एवज में रिश्वत राशि ली है। इस पर श्री भारत भूषण गोयल काफी घबरा गया जिस पर मन् उप अधीक्षक द्वारा तसल्ली देकर पुनः पूछताछ कर 50,000 रूपये रिश्वत राशि किसके कहने पर ग्रहण की तो श्री भारत भूषण गोयल ने बताया कि यह 50000 रूपये की रिश्वत राशि मैनें श्री राजकुमार मुन्दडा ए.ई.एन. के कहने पर ही ली है, और ये 50000 रूपये मुन्दडा जी को ही देने है। इस पर मौके पर ही श्री भारत भूषण गोयल के मोबाईल नम्बर [redacted]से श्री राजकुमार मुन्दडा सहायक अभियन्ता के मोबाईल नम्बर [redacted]पर वार्ता करवाई जिस पर श्री भारत भूषण गोयल ने श्री राजकुमार मुन्दडा को बताया कि महालक्ष्मी वाले के आ गये है, अभी कहां पे हो आप, तब श्री राजकुमार मुन्दा कहता है कि मैं घंटे भर में आता हूं। तब श्री भारत भूषण गोयल दूबारा कहता है कि 50000 रूपये आ गये है, आपके नाम के आ गये है, तब श्री राजकुमार मुन्दडा ने कहा कि यार ऐसे क्या बोल रहे हो, आगे कहता है कि आ जायेगें। इसके बाद मौके पर रिश्वत राशि ग्रहण किये जाने की तस्दीक होने पर श्री भारत भूषण गोयल के दोनो हाथ मौजूदा स्टाफ श्री पवन कुमार कानि0 से बायां हाथ तथा श्री नेमीचन्द ए.एस.आई से दाहिना हाथ कलाई के उपंर से पकडवाकर सरकारी वाहन में बैठाया तथा श्री भारत भूषण से श्री राजकुमार मुन्दडा की लोकेशन के बारे मे पूछा तो बताया कि सरकारी वाहन लेकर बापूनगर की तरफ निकले है । गाडी में बैठते ही श्री राजकुमार मून्दडा ने श्री भारत भूषण गोयल को फोन कर पूछा कि आपका नेट बन्द है क्या। तब श्री भारत भूषण ने बताया कि मेरा नेट तो चालू है। इसके तुरन्त बाद श्री राजकुमार मून्दडा ने वॉट्स-अप वॉईस कॉल कर श्री भारत भूषण को कहा कि यार फोन पर तो ऐसी बात ही न करनी ने, तब भारत भूषण ने कहा कि सर मेरे को ध्यान नही रहा, तब राजकुमार मुन्दडा कहता है कि आपके और मेरे फोन तो ट्रेप हो रहे है। आगे वार्ता में कहता है कि घर किती देर में आओगें। तब गोयल कहता है कि आप कहां हो अभी, सहायक अभियन्ता कहता है कि मैं बापूनगर और आगे वार्ता में कहता है कि मैं 15 मिनट में आपके घर की तरफ की आता हूं। उक्त वार्ताओं को श्री भारत भूषण गोयल के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर कार्यालय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया तथा श्री भारत भूषण गोयल के बताये अनुसार मन् पारसमल उप अधीक्षक मय एसीबी टीम मय गवाहान के बापूनगर की तरफ श्री राजकुमार मुन्दडा की तलाश हेतु रवाना हुआ तथा श्री राजकुमार मुन्दडा के आवास काशीपुरी, विष्णु जलपान गृह के बाहर निगरानी हेतु श्री राजेश कुमार एस.आई को निर्देशित किया तथा श्री खालिद हुसैन हैड कानि0 मय श्री नेमीचन्द ए.एस.आई को संभावित स्थान कलेक्ट्रेट की तरफ तलाश हेतु रवाना किया। तत्पश्चात मन् पारसमल उप अधीक्षक ई.एस.आई. हॉस्पीटल बापूनगर के आस-पास पहूंचा जहां पर एक वाहन स्वीफ्ट डिजायर सफेद रंग जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे. 06 टी.बी. 0069 जिसकी नम्बर प्लेट पर एक रेड कलर स्ट्रीप लगी हुई थी। उक्त वाहन ई.एस.आई हॉस्पीटल से पन्नाधाय सर्कल की तरफ जाता हुआ नजर आया जिस पर मन् पारसमल उप अधीक्षक मय एसीबी टीम मय सरकारी वाहन के उक्त वाहन का पीछा कर नजदीक जाकर देखा तथा श्री भारत भूषण गोयल से वाहन में ड्राईवर के बगल में आगे की सीट पर बैठे शख्स की पहचान करवाई तो श्री गोयल ने बताया कि यहीं राजकुमार जी मुन्दडा, सहायक अभियन्ता है। उक्त वाहन को रूकवाया तथा मन् पारसमल उप अधीक्षक ने अपना व एसीबी स्टाफ का परिचय देकर श्री भारत भूषण गोयल द्वारा ग्रहण की गई रिश्वत राशि व ट्रेप कार्यवाही के संबंध में बताया। तत्पश्चात श्री राजकुमार मुन्दडा को हमरा साथ लेकर अग्रिम कार्यवाही हेतु मय वाहन के समय करीबन 01.00 पी.एम पर पुलिस थाना प्रतापनगर पहूंचे, जहां पर श्री सुरजीत ठोलिया, पुलिस निरीक्षक, कार्यालय कक्ष में उपस्थित मिलें। जिनको मन् पारसमल उप अधीक्षक ने ब्यूरो द्वारा की जा रही ट्रेप कार्यवाही में थाना परिसर में कक्ष उपलब्ध करवाने के संबंध में बताया जिस पर श्री सुरजीत ठोलिया, पुलिस निरीक्षक द्वारा थाना परिसर में एक अनुसंधान कक्ष उपलब्ध करवाया। जहां पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ की गई। तत्पश्चात थाना परिसर से साफ पानी एक बोतल में भरवाकर श्री नेमीचन्द ए.एस.आई से मंगवाया गया तथा अनुसंधान बॉक्स में से दो डिस्पोजल गिलास निकलवाये जाकर दोनो डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर श्री रामपाल सउनि से ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बानेट की डिब्बा निकलवाया गया एवं एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर दोनो गिलासों में डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त प्लास्टिक के गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री भारत भूषण गोयल, कनिष्ठ अभियन्ता के बायें हाथ की अंगुलियो, अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट किया जाकर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित कर चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे प्लास्टिक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री भारत भूषण गोयल के दाहिने हाथ की अंगुलियों, अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का

गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित कर चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया। तत्पश्चात आरोपी श्री भारत भूषण गोयल द्वारा 50000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामनें की बांयी जेब में रखी गई थी, उक्त नोटों की गड्डी को श्री भारत भूषण से निकलवाया गया तथा उक्त नोटो की गड्डी को गवाहान श्री दिलीप सिंह को सुपुर्द की एवं पूर्व में मुर्तीब शुदा फर्द श्री गौरव सोनी को दी गई, एवं भारत भूषण के पास मिलें नोटो का फर्द से मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया तो उक्त गड्डी में 30 हजार रूपये भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के कुल 60 नोट व उक्त गड्डी में 20 हजार रूपये के भारतीय मनोरंजन बैंक के डमी नोट 500-500 के कुल 40 नोट मिलें। भारतीय चलन मुद्रा के नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये। तथा डमी करेन्सी 500-500 के कुल 40 नोटों पर कोई सिरियल नम्बर अंकित नही है। उक्त रिश्वत राशि नोट 50,000/- रूपये जिसमें 500-500 के कुल 60 नोट व 20 हजार के 500-500 के कुल 40 नोटों को एक कागज के पीले लिफाफे मे सिल्ड चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "N" अंकित कर कब्जे एसीबी लिये गये। तत्पश्चात श्री भारत भूषण गोयल के वक्त घटना पहनी हुई पेन्ट जिसमे से रिश्वत राशि बरामद हुई है को सःसम्मान उतरवाया गया। गवाहान व परिवादी के समक्ष एक प्लास्टिक की डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें श्री रामपाल ए.एस.आई से सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया। गवाहान व परिवादी ने उक्त घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। तत्पश्चात श्री भारत भूषण गोयल की वक्त घटना पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब को उल्टा कर घोल में डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी होना पाया गया। उक्त घोल का दो कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सिलचिट कर मार्क P-1, P-2 दिया गया, तथा पेन्ट को हवा में सुखाकर एफ सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क P दिया जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपीगणों के मोबाइल नम्बरों से रिश्वत राशि लेन-देन के समय साधारण कॉल एवं वाट्सएप वॉईस कॉल से हुई वार्ता जिसमें श्री राजकुमार मून्दडा [redacted] एवं श्री भारत भूषण गोयल के मोबाइल नम्बरों [redacted] में मिले कॉल लॉग का गवाहान के समक्ष कानि0 श्री पवन कुमार के फोन से स्क्रीन का पीडीएफ बनाकर उक्त पीडीएफ को कार्यालय के ईमेल पर भेजकर प्रिंट प्राप्त कर दोनो गवाहान एवं आरोपीगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शमिल पत्रावली किया गया। आरोपीगणों के उक्त मोबाइल फोन को बतौर वजह सबूत जरिये फर्द पृथक-पृथक जप्त किया जायेगा। आरोपी श्री राजकुमार मुन्दडा सहायक अभियन्ता के आवास की खाना तलाषी हेतु श्रीमान उप महानिरीक्षक, भ्रनिब्यूरो अजमेर के निर्देशानुसार श्री हिम्मत चारण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो राजसमन्द द्वारा ली गई। श्री राजेश कुमार एस.आई, भ्रनिब्यूरो भीलवाडा प्रथम को आरोपी श्री राजकुमार मुन्दडा सहायक अभियन्ता के वाहन क्रेटा जो स्वयं के नाम एवं वर्ष 2017 में खरीद किया जाना बताया। उक्त वाहन के रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे. 06 सी.ई. 7800 के किलोमीटर की जानकारी के संबंध में भिजवाया गया जिसने वाहन की डिस्प्ले की चेक की गई तो उक्त वाहन 80885 किलोमीटर चली हुई होना पाया गया। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया कि परिवादी श्री सुवालाल कुमावत की फर्म महालक्ष्मी कन्स्ट्रेशन कम्पनी द्वारा गुलाबपुरा एवं हुरडा में स्कूलों में करवाये गये निर्माण कार्यो के लगभग 19,23,926 रूपये के रनिंग बिल बनाकर पेश किये गये। परिवादी के उक्त बिलों को पास करने की एवज में 40,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। दिनांक 19.09.2025 को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन के दौरान परिवादी, आरोपी श्री राजकुमार मुन्दडा से मिलकर रनिंग बिलों को पास करने की वार्ता की तो श्री राजकुमार ए.ई.एन. ने परिवादी को गोयल साहब (कनिष्ठ अभियन्ता) से बात करने के लिये कहा, जिस पर परिवादी ने भारत भूषण गोयल से जाकर मिला तो उसने कहा कि आपके 19.00 लाख रूपये के बिल हो रहे है, जिसमें से 16.00 लाख का ई.सी.एस. कर देगें। उक्त सभी बिलों के 03 प्रतिशत कमीशन राशि के हिसाब से 48 हजार रूपये एवं पूर्व के निर्माण कार्यो के बिलों की भुगतान राशि में से कमीशन सहित कुल 50,000/- रूपये रिश्वत की मांग की गई। उक्त रिश्वत राशि मे से भारत भूषण गोयल द्वारा 2 प्रतिशत रिश्वत राशि श्री राजकुमार सहायक अभियन्ता के लिये एवं 1 प्रतिशत राशि स्वयं के लिये कुल 50,000 रूपये मांगकर, मांग के अनुसरण में आज दिनांक 24.09.2025 को कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा भीलवाडा के बाहर परिवादी से 50,000 रूपये श्री भारत भूषण गोयल द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण की गई। तत्पश्चात उक्त रिश्वत राशि 50,000 रूपये परिवादी से प्राप्ति के संबंध में श्री भारत भूषण गोयल ने श्री राजकुमार सहायक अभियन्ता के मोबाईल पर कॉल कर बताया। तत्पश्चात आरोपीगण श्री राजकुमार सहायक अभियन्ता एवं श्री भारत भूषण गोयल संविदाकर्मी को डिटेन किया गया तथा उक्त रिश्वत राशि 50,000 रूपये जिसमे से 30,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के एवं 20,000 रूपये के डमी नोट (भारतीय मनोरंजन बैंक) आरोपी श्री भारत भूषण गोयल की पहनी हुई पेन्ट की सामनें की बांयी जेब से बरामद की गई है। इस प्रकार आरोपीगणों द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर स्वयं के लिये अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से आपराधिक षडयंत्र पूर्वक परिवादी से 50,000 रूपये रिश्वत की मांग कर, मांग के अनुसरण में ग्रहण करना आरोपीगणों का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करने पर समय-10.25. पी.एम. पर आरोपी श्री राजकुमार मून्दडा पुत्र श्री कल्याणमल मुन्दडा, उम्र 59 साल निवासी मकान नम्बर 7-ए, काषीपुरी, विष्णु जलपान गृह के पास भीलवाडा हाल सहायक अभियन्ता, कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा भीलवाडा को प्रकरण हाजा में जरिये फर्द हस्ब कायदा गिरफ्तार किया गया।

समय-10.40. पी.एम. पर आरोपी श्री भारत भूषण गोयल पुत्र श्री बृजमोहन गोयल उम्र 56 वर्ष निवासी मकान नम्बर डी. -443, आजाद नगर, अम्बेश हॉस्पीटल के सामने, पन्नाधाय सर्कल के पास हाल कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी) कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा भीलवाडा को जरिये फर्द हस्ब कायदा गिरफ्तार किया गया। समय-10.50 पी.एम. पर आरोपी श्री राजकुमार मुन्दडा के पास मिले एक मोबाईल फोन आई.फोन 15 प्रो जो प्रकरण में रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता में प्रयुक्त होने से बतौर वजह सबूत जरिये फर्द जब्त कर कब्जे एसीबी लिया गया। जिसकी फर्द मुर्तीब कर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। मोबाईल को सफेद कपडे की थैली में सिलचिट कर मार्क R.K दिया गया। समय-11.15 पी.एम. पर आरोपी श्री भारत भूषण गोयल के पास मिले एक मोबाईल फोन आई.फोन 15 जो प्रकरण में रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता में प्रयुक्त होने से बतौर वजह सबूत जरिये फर्द जब्त कर कब्जे एसीबी लिया गया। जिसकी फर्द मुर्तीब कर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। मोबाईल को सफेद कपडे की थैली में सिलचिट कर मार्क B.B दिया गया। समय-11.45 पी.एम. पर मन् पारसमल उप अधीक्षक मय जाप्ता मय गवाहान मय सिलचिट एवं जब्त शुदा आर्टीकल के पुलिस थाना प्रतापनगर से रवाना कार्यालय भ्रनिब्यूरो भीलवाडा प्रथम हुआ। दिनांक 25.09.25 समय-12.05 ए.एम. पर मन् पारसमल उप अधीक्षक बाद ट्रेप कार्यवाही मय एसीबी टीम के हाजिर कार्यालय आया। प्रकरण में ट्रेप कार्यवाही से सम्बन्धित सिल्ड् चिट आर्टीकल पैकेट श्री रामपाल ए.एस.आई मालखाना इंचार्ज के सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। रिश्वत राशि लेन-देन से सम्बन्धित कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमौरी कार्ड मन् पारसमल उप अधीक्षक की कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखा गया। समय-08.30 ए.एम. पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी कार्यालय में उपस्थित आ चुके है। परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष मन् उप अधीक्षक की कार्यालय अलमारी मे से कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर निकाला गया। उक्त डीवीआर में लगे मैमोरी कार्ड में रिश्वत राशि लेन-देन के समय परिवादी श्री सुवालाल, आरोपी श्री भारत भूषण गोयल की आमने-सामने हुई वार्ता तथा रिश्वत राशि ग्रहण के पश्चात् आरोपी श्री भारत भूषण गोयल की व आरोपी श्री राजकुमार मुन्दडा की मोबाईल पर सामान्य कॉल व वॉट्स-अप वॉईस कॉल पर हुई वार्ता रिकॉर्ड है कि फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। समय-08.45 ए.एम. पर परिवादी श्री सुवालाल कुमावत व दोनो स्वतन्त्र गवाह की उपस्थिती में रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता दिनांक 24.09.2025 से संबंधित कार्यालय की डिजीटल वाइस रिकार्डर को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ताओ को बारी बारी से चलाकर सुना गया जिसमें परिवादी श्री सुवालाल नें अपनी आवाज एवं आरोपीगण श्री राजकुमार मून्दडा सहायक अभियंता एवं श्री भारत भूषण गोयल कनिष्ठ अभियंता की आवाज की गवाहान के समक्ष पहचान की। रिकार्डशुदा वार्ता की कार्यालय से लेपटॉप से फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट शब्द ब शब्द सुन सुनकर श्री खालिद हुसैन हैड कानि 88 से तैयार करवाई गई। उक्त रिकार्ड वार्ता की हैश वेल्यू श्री पवन कानि 417 से निकलवायी गई तथा हेसवेल्यू की प्रिन्ट निकलवाई जाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त रिकॉर्डशुदा वार्ताओं को उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय हाजा के लेपटॉप से श्री पवन राव कानि0 नम्बर 417 से कनेक्ट करा वार्ताओं के कुल 03 पेनड्राईव जिसमें से 01 पेनड्राईव 32 जी.बी. सेनडिस्क ब्लैक कलर प्लास्टिक बोडी का न्यायालय हेतु तथा आरोपीगणों हेतु 02 पेनड्राईव पृथक-पृथक 32 जी.बी. सेनडिस्क ब्लैक कलर प्लास्टिक बोडी का एवं 01 पेनड्राईव को अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार किया गया। माननीय न्यायालय के पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क PD-4 दिया गया तथा आरोपीगणों के पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क PD-5, PD-6 दिया गया तथा अनुसंधान अधिकारी हेतु पेनड्राईव को उसी कवर में रखकर एक पीले लिफाफे में रखकर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया तथा वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड को उसी कवर में रखा गया तथा मूल मेमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड् मोहर कर मार्क M-1 दिया गया। सिल्ड् पैकेट पर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मांग सत्यापन वार्ता एवं शिल्ड आर्टिकल पैकिट पर नमूना ब्रास सील ACB BHL1 32 नम्बर अंकित की गई। उक्त मूल मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ताऐं कुल 12.2 MB है जिसको मूल मैमोरी कार्ड से पेनड्राईव में कॉपी करने में 02 सैकण्ड का समय लगा है। फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की कार्यवाही समय 08.45 ए.एम. पर प्रारम्भ कर समय 10.15 ए.एम पर समाप्त की गई। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया कि परिवादी श्री सुवालाल कुमावत की फर्म महालक्ष्मी कन्सट्रेशन कम्पनी द्वारा गुलाबपुरा एवं हुरडा में स्कूलों में करवाये गये बिल्डिग निर्माण कार्यो के लगभग 19,23,926 रूपये के रनिंग बिल बनाकर पेश किये गये। परिवादी के उक्त बिलों को पास करने की एवज में 40,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। दिनांक 19.09.2025 को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन के दौरान परिवादी, आरोपी श्री राजकुमार मुन्दडा से मिलकर रनिंग बिलों को पास करने की वार्ता की तो श्री राजकुमार ए.ई.एन. ने परिवादी को गोयल साहब (कनिष्ठ अभियन्ता) से बात करने के लिये कहा, जिस पर परिवादी ने भारत भूषण गोयल से जाकर मिला तो उसने कहा कि आपके 19.00 लाख रूपये के बिल हो रहे है, जिसमें से 16.00 लाख का ई.सी.एस. कर देगें। उक्त सभी बिलों के 03 प्रतिशत कमीशन राशि के हिसाब से 48 हजार रूपये एवं पूर्व के निर्माण कार्यो के बिलों की भुगतान राशि में से कमीशन सहित कुल 50,000 रूपये रिश्वत की मांग की गई। उक्त रिश्वत राशि मे से भारत भूषण गोयल द्वारा 2 प्रतिशत रिश्वत राशि श्री राजकुमार सहायक अभियन्ता के लिये एवं 1 प्रतिशत राशि स्वयं के लिये कुल 50,000 रूपये मांगकर, मांग के अनुसरण

में दिनांक 24.09.2025 को कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा भीलवाडा के बाहर परिवादी से 50,000 रूपये श्री भारत भूषण गोयल द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण की गई। तत्पश्चात उक्त रिश्वत राशि 50,000 रूपये परिवादी से प्राप्ति के संबंध में श्री भारत भूषण गोयल ने श्री राजकुमार सहायक अभियन्ता के मोबाईल पर कॉल कर बताया। तत्पश्चात आरोपीगण श्री राजकुमार सहायक अभियन्ता एवं श्री भारत भूषण गोयल संविदाकर्मी को डिटेन किया गया तथा उक्त रिश्वत राशि 50,000 रूपये जिसमे से 30,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के एवं 20,000 रूपये के डमी नोट (भारतीय मनोरंजन बैंक) आरोपी श्री भारत भूषण गोयल की पहनी हुई पेन्ट की सामनें की बांयी जेब से बरामद की गई है। इस प्रकार आरोपीगणों द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर स्वयं के लिये अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से आपराधिक षडयंत्र पूर्वक परिवादी से 50,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर, अपनी मांग के अनुसरण में ग्रहण करना पाया गया। आरोपीगणों का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना पाया जाता हैं। अतः आरोपीगणों के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध हेतु श्रीमान महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान. जयपुर को प्रेषित है। (पारसमल) उप अधीक्षक पुलिस, भ्र.नि. ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम ....कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पारस मल उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1. श्री राजकुमार पुत्र श्री कल्याण मल मून्दडा उम्र-59 साल, निवासी 7-ए, काशीपुरी, विष्णु जलपान गृह के पास, भीलवाडा हाल सहायक अभियन्ता, कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा भीलवाडा 2. श्री भारत भूषण गोयल पुत्र श्री ब्रजमोहन गोयल उम्र-56 वर्ष निवासी डी-443, आजाद नगर, अम्बेश हांस्पीटल के सामने, पन्नाधाय सर्कल के पास, भीलवाडा हाल कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी) कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा भीलवाडा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री भागचन्द, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 485 पर अंकित है। (डॉ. महावीर सिंह राणावत) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1442--46 दिनांक 27.09.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाडा, 2. संयुक्त निदेशक, कृषि प्रशासन, कृषि विभाग राजस्थान जयपुर, 3- मुख्या जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना समन्वयक समसा भीलवाडा, 4- उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर 5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम, पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** BHAGCHNDRA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Singh Ranawat
Location: Rajasthan,IN
Date: 27/09/2025 16:30:32

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): MAHAVEER SINGH

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1966				
2	Male	1969				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)